

# बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001  
(पंजीयन सं०-633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,

\* सुरेश कुमार शर्मा

मो० 9431818346, 9431479774

महासचिव,

\* सुशील कुमार

मो० 9431091417



उपाध्यक्ष :-

संयुक्त सचिव:-

कोषाध्यक्ष:-

संयुक्त कोषाध्यक्ष:-

\* सआदत हसन मिन्टो

\* राजेन्द्र राम

\* राजयबन्द चार्डियार

\* अबिल कुमार

\* चन्द्र शैखर सिंह

\* विबोद आनन्द

दिनांक 30/9/2013

पत्रांक : 46

सेवा में

प्रधान सचिव

वित्त विभाग,

बिहार, पटना।

विषय:-

बिहार प्रशासनिक सेवा के 39वीं बैच के पदाधिकारियों को प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ जनवरी 2008 से दिसम्बर 2008 तक नहीं दिए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के 39वीं बैच के पदाधिकारियों की सेवा में प्रथम योगदान जनवरी 1996 में हुआ था तथा इस बैच के पदाधिकारियों को प्रथम वित्तीय उन्नयन तत्समय प्रवृत्त ACP rules 2003 के प्रावधानों के तहत जनवरी, 2008 में देय था।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस बैच के पदाधिकारियों को सितम्बर 2012 तक प्रथम वित्तीय उन्नयन स्वीकृत नहीं किया जा सका। सितम्बर 2012 में इस बैच के पदाधिकारियों को ACP rules 2003 के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-13185 दिनांक-20.09.2012 द्वारा प्रथम वित्तीय उन्नयन जनवरी 2008 के प्रभाव से स्वीकृत तो किया गया, परन्तु वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग द्वारा प्रथम वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतनपुर्जा को दो-दो बार संशोधित कर निर्गत किया गया एवं इस बैच के पदाधिकारियों को बिना किसी दोष एवं त्रुटि के जनवरी 08 से दिसम्बर 08 तक के बारह महीने की अवधि में कोई वेतन उन्नयन का लाभ नहीं दिया गया तथा 01/01/2009 से इनको 6600 के ग्रेड पे में वेतन उन्नयन का वास्तविक लाभ दिया गया (निर्गत वेतनपुर्जा की छायाप्रति संलग्न)।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध होगा कि उक्त अधिसूचना द्वारा स्वीकृत प्रथम वेतन उन्नयन की तिथि से ही वेतन उत्क्रमण करते हुए संशोधित वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु संबंधितों को आदेश देने की कृपा की जाय।  
अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुशील कुमार)  
महासचिव